

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

किसम मुकदमा

क्रमांक

बनाम

राजीव

उपरोक्त अर्थात् निषेध

नं.

80/2017

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
24-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी कोर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-1-23 को पेश हो। सुन्दर	
25-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी कोर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-4-23 को पेश हो। सुन्दर	
12-4-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी कोर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-4-23 को पेश हो। सुन्दर	
21-4-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी कोर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-5-23 को पेश हो। सुन्दर	
10.5.23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्तेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी कोर/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-5-23 को पेश हो। सुन्दर	
17.05.23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।	



दिलीप सिंह  
17.05.23

सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रैक)  
(दिलीप सिंह)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)